

प्रेस नोट दिनांक 04.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं आईटी एक्ट के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह नेतृत्व में थाना कुण्डा के क्राइम निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह का0 गजेन्द्र सिंह, का0 मंदीप सिंह, महिला आरक्षी सुनयना पटेल एवं चालक पीआरडी आनन्द कुमार मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारंटी अभियुक्तों के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(1), 351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार निर्मल पुत्र सुखदेव निर्मल, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम बभनपुर करमजीत पट्टी, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत बाबूगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिनेश कुमार निर्मल पुत्र सुखदेव निर्मल, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम बभनपुर करमजीत पट्टी, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

क्राइम निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह का0 गजेन्द्र सिंह, का0 मंदीप सिंह, महिला आरक्षी सुनयना पटेल एवं चालक पीआरडी आनन्द कुमार मिश्रा, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दुष्कर्म व धमकी के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दुष्कर्म व धमकी के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त दशरथ शर्मा उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं

क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री संदीप तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 जय किशन मय हमराह का0 रंजीत यादव एवं का0 विश्वदीप यादव द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69, 351(3) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त दशरथ शर्मा उर्फ फौजी पुत्र रमाशंकर शर्मा, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी ग्राम पूरेलाल, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम पूरेलाल से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दशरथ शर्मा उर्फ फौजी पुत्र रमाशंकर शर्मा, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी ग्राम पूरेलाल, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 जय किशन मय हमराह का0 रंजीत यादव एवं का0 विश्वदीप यादव, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त कुलदीप गुप्ता गिरफ्तार, चोरी का गैस सिलेंडर एवं पीतल के बर्तन बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का गैस सिलेंडर एवं पीतल के बर्तन बरामद किए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी निवासी सतीगंज, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.10.2026 की रात्रि वह घर में ताला बंद कर लखनऊ गई थीं। इसी दौरान कुलदीप गुप्ता द्वारा घर एवं कमरे का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर, पीतल के बर्तन आदि चोरी किए जाने के संबंध में थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 255/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान चोरी की संपत्ति बरामद होने पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री अभिषेक कुमार सिरौही के नेतृत्व में उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह का0 जयंत कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित

अभियुक्त एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 255/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त कुलदीप गुप्ता पुत्र महादेव गुप्ता, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी जालिपानगर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को नेवढ़िया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाकर रखा चोरी का 01 अदद गैस सिलेंडर, 01 अदद पतीला, 01 अदद भगौना, 01 अदद ढक्कन एवं 01 अदद थाली, सभी पीली धातु, बरामद किए गए।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने दिनांक 01.10.2026 की रात्रि में रूप कौर के घर का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर एवं पीतल के बर्तन आदि चोरी किए थे, जिन्हें झाड़ियों में छिपाकर रखा था तथा चोरी के सामान को बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में था। कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कुलदीप गुप्ता पुत्र महादेव गुप्ता, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी जालिपानगर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद गैस सिलेंडर, 01 अदद पतीला, 01 अदद भगौना, 01 अदद ढक्कन एवं 01 अदद थाली, सभी पीली धातु।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह का0 जयंत कुशवाहा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अवैध शस्त्रों की तस्करी/प्रयोग एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी

संग्रामगढ़ श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में उ०नि० अंशु सिंह सेंगर मय हमराह उ०नि० सरनाम सिंह, का० विक्रम सिंह, का० शशिकान्त गिरी एवं का० अमित सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी अभियुक्त एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर बकुलाही नदी पुल के पास से ०१ अभियुक्त सोनू सरोज पुत्र छोटेलाल सरोज, उम्र करीब २२ वर्ष, निवासी ग्राम सेमरा, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से ०१ अदद अवैध देशी तमंचा ३१५ बोर एवं ०२ अदद जिन्दा कारतूस ३१५ बोर बरामद किए गए।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना संग्रामगढ़ पर मु०अ०सं० १९०/२०२६ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

१. सोनू सरोज पुत्र छोटेलाल सरोज, उम्र करीब २२ वर्ष, निवासी ग्राम सेमरा, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

०१ अदद अवैध देशी तमंचा ३१५ बोर एवं ०२ अदद जिन्दा कारतूस ३१५ बोरा।

पुलिस टीम-

उ०नि० अंशु सिंह सेंगर, उ०नि० सरनाम सिंह, मय हमराह का० विक्रम सिंह, का० शशिकान्त गिरी, का० अमित सिंह (चालक), थाना संग्रामगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा ०१ वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ०नि० भुवाल सिंह यादव मय हमराह का० आशीष गुप्ता व रि०का० संदीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित/वारंटी के दौरान मा० इलेक्ट्रिसिटी एक्ट स्पेशल कोर्ट द्वारा निर्गत ऑनलाइन गिरफ्तारी अधिपत्र, स्पेशल केस नं० ४९८/२०१९, अ०सं० ४५५/२०१९ धारा १३८(१)बी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित ०१ वारंटी अभियुक्त सुरेश चन्द्र पुत्र विश्वनाथ विश्वकर्मा, उम्र करीब ५३ वर्ष, निवासी ग्राम कटरा दुग्धा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

१-सुरेश चन्द्र पुत्र विश्वनाथ विश्वकर्मा, उम्र करीब ५३ वर्ष, निवासी ग्राम कटरा दुग्धा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय हमराह का0 आशीष गुप्ता व रि0का0 संदीप कुमार, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज क्षेत्र में मारपीट की घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मृत्यु के प्रकरण में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा मारपीट की घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मृत्यु के प्रकरण में 03 वांछित अभियुक्तगण शिवमूरत उर्फ राममूरत, सियालाल एवं कल्लू उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 22.09.2026 को समय करीब 07.00 बजे शाम को वादिनी के अनुसार, बकरी द्वारा सब्जियां खा लेने की बात को लेकर संतलाल, शिवमूरत, सियालाल एवं कल्लू द्वारा वादिनी एवं उसकी देवरानी के साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई। प्रकरण में मु0अ0सं0 236/26 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान धारा 109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। मजरूबा रीना उर्फ आरती की इलाज के दौरान लखनऊ के अस्पताल में मृत्यु हो गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राहुल कुमार गौतम मय हमराह उ0नि0 नीरज सिंह कुशवाहा, का0 रामबीर सिंह व रि0का0 अर्तयांग सिंह तथा म0उ0नि0 वन्दना वर्मा, का0 अजीत यादव, का0 प्रेमबीर सिंह, का0 प्रिन्स सेन व रि0म0का0 निधि यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर नई बाजार कुण्डा रोड स्थित निर्माणाधीन मकान के पास से मु0अ0सं0 236/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. शिवमूरत उर्फ राममूरत, 2. सियालाल एवं 3. कल्लू उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.09.2026 को संतलाल की बकरी द्वारा वादिनी की लगाई गयी सब्जी खा लेने की बात को लेकर वादिनी व मृतका से गाली-गलौज एवं लाठी-डण्डा से मारपीट की गयी थी, जिसमें मृतका को अधिक चोटें आयी थीं। बाद में मुकदमा दर्ज होने तथा

मृतका की हालत गंभीर होने की जानकारी मिलने पर, उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के बाद सभी अभियुक्तगण बाहर जाने के लिए अपनी रिश्तेदारी में एकत्रित हुए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शिवमूरत उर्फ राममूरत पुत्र रामदेव, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी तख्त का पुरवा ऐंघा, हीरागंज, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. सियालाल पुत्र रामदेव, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी तख्त का पुरवा ऐंघा, हीरागंज, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3. कल्लू उर्फ अर्जुन पुत्र शिवपूजन, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी तख्त का पुरवा ऐंघा, हीरागंज, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष राहुल कुमार गौतम मय हमराह 30नि0 नीरज सिंह कुशवाहा, का0 रामबीर सिंह व रि0का0 अर्तयांग सिंह तथा म030नि0 वन्दना वर्मा, का0 अजीत यादव, का0 प्रेमबीर सिंह, का0 प्रिन्स सेन व रि0म0का0 निधि यादव, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के 30नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 अनुराग राय द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित/वारंटी/संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन के दौरान मा0 न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0 प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत वाद नं0 1272/23, अ0सं0 210/21 धारा 323/504/506/427/435 भादवि थाना कोहंडौर से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तगण वासुदेव वर्मा व राजदेव वर्मा को गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में 30नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 अवनीश कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित/वारंटी/संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन के दौरान मा0 न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0 कक्ष सं0 22, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत अ0सं0 165/2021 धारा 323/325/504 भादवि थाना कोहंडौर से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त भगेलू वर्मा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. वासुदेव वर्मा पुत्र स्व0 राममिलन वर्मा, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम चन्दौका, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

2. राजदेव वर्मा पुत्र स्व० राममिलन वर्मा, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम चन्दौका, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
3. भगेलू वर्मा पुत्र सम्पत वर्मा, उम्र करीब 67 वर्ष, निवासी ग्राम डोहिया पूरब पट्टी, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० बृजेश कुमार मय हमराह का० अनुराग राय, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

उ०नि० अनिल कुमार सिंह मय हमराह का० अवनीश कुमार यादव, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 226 ग्राम नाजायज गांजा व 01 पिस्टल 0.32 बोर, 02 मैगजीन 0.32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल व गांजा बिक्री के 900 रुपये के साथ 01 अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ भाले सिंह को किया गया गिरफ्तार-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को प्राथमिक विद्यालय सगरा सुन्दरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री तथा अवैध शस्त्र रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री तथा अवैध शस्त्र रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री वारिज कसेरा के नेतृत्व में थाना लीलापुर के उ०नि० दीपक कुमार यादव मय उ०नि० केशव राम, हे०का० राजकुमार सिंह, का० प्रमेश यादव, का० बाबूलाल यादव, उ०नि० शिशर पटेल मय हमराह रवि चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित/वारण्टी एवं रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान प्राथमिक विद्यालय सगरा सुन्दरपुर के पास से 01 अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ भाले सिंह पुत्र शिवनायक सिंह, उम्र करीब 43 वर्ष, निवासी ग्राम डांडी खास, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से पालीथीन सहित कुल 226 ग्राम नाजायज गांजा, 01 अदद पिस्टल 0.32 बोर, 02 अदद मैगजीन 0.32 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस 0.32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, गांजा बिक्री के 900 रुपये तथा 01 अदद मोबाइल बरामद किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 325/26 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जयप्रकाश उर्फ भाले सिंह पुत्र शिवनायक सिंह, उम्र करीब 43 वर्ष, निवासी ग्राम डांडी खास, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

- * पालीथीन सहित कुल 226 ग्राम नाजायज गांजा।
- * 01 अदद पिस्टल 0.32 बोरा।
- * 02 अदद मैगजीन 0.32 बोरा।
- * 03 अदद जिन्दा कारतूस 0.32 बोरा।
- * 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोरा।
- * गांजा बिक्री के 900 रुपये।
- * 01 अदद मोबाइल रियलमी कम्पनी।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय उ0नि0 केशव राम, हे0का0 राजकुमार सिंह, का0 प्रमेश यादव, का0 बाबूलाल यादव, उ0नि0 शिशर पटेल मय हमराह रवि चौहान, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।